

आधिकारी
यालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

कठूमर जिला अलवर

2/22/2020

तारीख रजू.....

नानगाराम

बनाम

मुकेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 897, 900, 975, 976, 980, बाके ग्राम मनोखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के कब्जे काश्त मे रूकावट /मजाहमत पैदा न करे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि. उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 28.07.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.07. 2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

28/7/20

मुद्रांक करीफ ४२०/P.O.
राज - Court 2-13
भाषणी दिनांक 11-1-21
जो पेश हो।

11

1/21
वकील सायल
साथिक आदेश दिनांक 4-6-20
की पालना में पत्रावली जारी
दिनांक 25/2/21 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत की तारीख

25/1/24 कावली पेश हुई। आज बार एवो. ने कार्य
वर्षित कर रखा है। P.O. साहू 2400/1/24 का
है। पत्रावली दिनांक 6/5/24 को पेश हो

2

6/5/24

पत्रावली दिनांक 14/1/24 को पेश हो।

2

14/1/24

पत्रावली दिनांक 12/1/24 को पेश हुई।

2

नहीं होने के कारण प्रकरण का निष्कारण नहीं हो सका। अतः
पत्रावली दिनांक 18/1/24 को न्यायालय राजा में पेश हो

उपस्थित अधिकारी
कदमर (अलगवर)

29/4/22

पत्रावली दिनांक 29/4/22 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
कदमर (अलगवर)

29.4.22

पत्रावली पेश हुई। वकील की उपस्थिति।
वकील ने आज से श्री कासिंद्र जी का हस्त
पत्रावली दिनांक 14/1/24 को पेश किया।
पत्रावली दिनांक 29/4/22 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी
कदमर (अलगवर)

मैं अपने अर्थात्
पत्रावली दिनांक
पेश नहीं
करा है।
न्यायालय

29/4/22